न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी

राजस्व अपील संख्या 605/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
किशनाराम पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी आंगणवा तहसील व जिला जोधपुर		1– श्रीमती पानीदेवी पत्नी नारायणलाल जाति मेगवाल निवासी मेगवालो का बास, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर **परफोर्मा पक्षकार –** 1– बस्तीराम पुत्र पदमाराम 2– कानाराम पुत्र पदमाराम 3– ओमाराम पुत्र पदमाराम जातियान जाट निवासीगण आंगणवा तहसील व जिला जोधपुर 4– ढलाराम पुत्र श्रीराम जी 5– प्रभुराम पुत्र श्रीराम जी 6– मानाराम पुत्र श्रीराम जी 7– प्रेमाराम पुत्र श्रीरामजी के का0मु0– 7.1–खेताराम पुत्र स्व. प्रेमाराम 7.2– केसीदेवी पत्नी स्व0 प्रेमाराम जाति जाट निवासीगण आंगणवा तहसील व जिला जोधपुर 7.3– श्रीमती सीतादेवी पुत्री प्रेमाराम पत्नी देवाराम जाति जाट निवासी दुध वालो की ढाणी, शिकारगढ जिला जोधपुर 7.4– श्रीमती संतोष पुत्री स्व0 प्रेमाराम पत्नी कालूराम जाति जाट निवासी जसंवंत सागर बांध आंगणवा तहसील व जिला जोधपुर 8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 6–6–2017 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ए.सी.एम. (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 150/2014 अनवान पानीदेवी बनाम बस्तीराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थिति बहसः–

1– श्री भरत बूब अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री सोनाराम चौधरी अधिवक्त रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– श्री किशनाराम चौधरी अधिवक्ता परफोर्मा पक्षकार 1 से 3 की ओर से।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 8 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28–5–2018

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती पानीदेवी ने अधीनस्थ न्यायालय ए.सी.एम. (फास्ट ट्रेक) जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अपने खातेदारी का खेत ग्राम आंगणवा के खसरा नंबर 142 रकबा 20 बीघा 10 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी करने के

आदेश पारित करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पटवारी हल्का सुरपुरा से मोका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–6–2017 के द्वारा यदि किसी भी न्यायालय से स्थगन आदेश पारित किया हुआ नही हो तथा प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पारिश्रमिक जमा करवाने की स्थिति मे तहसीलदार जोधपुर को मौके पर उभयपक्ष को सुनकर उक्त आराजी की पत्थरगढी करने के आदेश पारित कर दिये, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश मे अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया है । अपीलांट अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20–10–2014 की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया जिसमे वर्तमान अपीलांट एवं अधीनस्थ न्यायालय मे अप्रार्थी संख्या 3 के नोटिस पर "वह केन्द्रीय कारागृह मे बंद है" की रिपोर्ट आ चुकी थी जिसका उल्लेख आदेशिका मे भी आ चुका था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की तामिल बाबत कोई प्रयास किये बिना अपीलाधीन आदेश बिना अपीलांट को सुने एवं उसकी अनुपस्थिति मे पारित किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पे0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी संख्या 6 प्रेमाराम का नाम अंकित किया है जबकि प्रेमाराम तो उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के 5–6 वर्ष पूर्व ही फोत हो चुका था ऐसे मे मृत व्यक्ति के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज योग्य था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर किये बिना उसके वारिसान को रेकर्ड पर लेने बाबत जो कार्यवाही की गई थी वह विधिसम्मत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज योग्य था ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट अधिवक्ता की बहस के जवाब मे कथन किया कि वर्तमान अपीलांट किशनाराम जो कि केन्द्रीय कारागृह जोधपुर मे सजा याप्ता होने से उसके नोटिस तामिल नही हुए थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने शेष अप्रार्थीगण के सम्मन तामिल होने पर अपीलाधीन भूमि की मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा आदि मंगवाने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत है ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि यदि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय से असंतुष्ट है तो प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर प्रकरण का विधिसम्मत तरीके से दो माह मे

निस्तारित करने के आदेश न्यायालय हाजा से पारित किये जाते है तो रेस्पो0 को कोई आपत्ति नही है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । वर्तमान अपीलांट किशनाराम को अधीनस्थ न्यायालय मे अप्रार्थी संख्या 3 बनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने पर आदेशिका दिनांक 20–10–2014 मे अप्रार्थी संख्या 3 की तामिली के संबंध मे नोटिस पर रिपोर्ट आई है कि वह केन्द्रीय कारागृह मे बंद है अथार्त अप्रार्थी संख्या 3 की तामिली अधीनस्थ न्यायालय मे होनी शेष थी परंतु अप्रार्थी संख्या 3 की तामिली के अभाव मे अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वर्तमान अपीलांट की अधीनस्थ न्यायालय मे तामिल नही हुई थी ऐसे मे प्रकरण को सभी पक्षकारो को सुनकर 2 माह की अवधि मे निर्णित करने के निर्देश के साथ यदि अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिटस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 6–6–17 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विवादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी करवाने के संबंध मे नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करे तथा उक्त प्रकरण का निस्तारण दो माह मे करने के निर्देश दिये जाते है ।

निर्णय आज दिनांक 28–5–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर